न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल
पीठासीन अधिकारी – मदन सिंह चौधरी 'आर.जे.एस.'
राजस्थान राज्य बनाम देवीसिंह वगैरा
फौजदारी मूल प्रकरण संख्यां :– 1790/2017
सीआईएस नंबर :– 932/2016

दिनांक 09.04.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

मुलजिम पृथ्वीसिंह फौत। मुलजिम देवीसिंह की हद तक फैसल।

मुलजिम **भूपेंद्रसिंह** ने न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसपर्मण किया, जिस पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अधिवक्ता अभियुक्त **श्री कन्हैयालाल पालीवाल** ने मुलजिम भूपेंद्रसिंह की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिम भूपेंद्रसिंह की जमानत दरख्वास्त स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि मुलजिम आयंदा हर पेशी पर हाजिर आने बाबत् रूपये 45,000/– का मुचलका एवं इसी राशि की एक जमानत पेश कर तस्दीक करावें, तो मुलजिम को जमानत पर रिहा किया जावे, अन्यथा जेसी में भेजा जावें। माफिक आदेश मुलजिम उपरोक्त ने जमानत–मुचलके पेश किये, जो बाद जांच तस्दीक किये गये। शामिल मिसल हो। मुलजिम भूपेंद्रसिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है।

इस स्तर पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त **भूपेंद्रसिंह** के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा **323, 325/34 भा.द.सं.** के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए जिसे अभियुक्त ने स्वीकार किया तथा इस स्तर पर मुलजिम **भूपेंद्रसिंह** ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली व संबंधित विधि का परिशिलन किया।

प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए मुल0 को उसकी स्वेच्छ्या जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा **323, 325/34 भा.द.सं.** के अपराध में दोषी घोषित किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर सुना गया। मुल0 द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया है, शराब की मात्रा भी अधिक नहीं है अभियुक्त **भूपेंद्रसिंह** के विरूद्व पूर्व में कोई दोषसिद्धि का तथ्य विद्यमान नहीं है, जिस बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक.03/पीआई/2017 दिनांक 06.02.2017 की पालना में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपराध की प्रकृति व तथ्यों एवं मुलजिम की आयु तथा उसकी आर्थिक व पारिवारीक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुल0 को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त मुल0 को अपराध अंतर्गत धारा **323, 325/34 भा.द.सं.** के आरोप में दोषी पाये जाने पर तुरन्त दण्ड से दण्डित करने के बजाय धारा 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत आदेश दिया जाता है कि यदि मुल0 **1** वर्ष की अवधि के लिये **10,000/–** की राशि का स्वंय का मुचलका व इसी राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष इस आशय की पेश कर तस्दीक कराये कि :–

1. इस अवधि के दौरान सदाचारी बना रहेगा व परिशान्ति बनाये रखेगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)

2. इस अवधि के दौरान अपराध की पुनरावृत्ति नही करेगा।

3. परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होगा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों पालना करेगा।

4. जब भी न्यायालय द्वारा सजा भुगताने के लिये तलब कि जावे सजा भुगतने के लिये उपस्थित होगा।

5. धारा 5 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत 1000/- रुपये बतौर अभियोजन व्यय अदा करने के आदेश दिये जा हैं जो कि धारा 4 का लाभ प्राप्त करने की पुर्ववर्ती शर्त होगी।

तो मुल0 को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दि जावे अन्यथा दण्ड निर्धारित करने हेतू पत्रावली पुनः आज ही पेश जावे।

मुताबिक आदेश जमानत–मुचलके तथा धारा 437ए सीआर.पी.सी. तहत जमानत–मुचलके पेश हुये, जो बाद जांच तस्दीक किए गए अभियोजन व्यय की राशि जरिये रसीद संख्या 13 दिनांक 09.04.2026 जमा की गई।

प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली बाद आवश्य इंद्राजात फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल

न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीनमाल (जालोर)